राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1881/2025

प्रेमचन्द जाटव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कृषि विपणन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सुपरवाईजर के पद पर कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी, जिला बूंदी किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2024 को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया, परंतु एक माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा बूंदी पदस्थापित कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है और इस प्रकार दबाव में किये गये स्थानांतरण आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में सुपरवाईजर के पद पर कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन सिटी, जिला करौली में कार्यरत है। उसका स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी, जिला बूंदी किया गया है। आदेश दिनांक 06.12.2024 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है और अपीलार्थी ने दिनांक 06.12.2024 को ही पर्यवेक्षक के पद पर कार्यग्रहण किया है और इस प्रकार हम पाते हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति पश्चात् उसका आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 के द्वारा स्थानांतरण किया गया है और इस प्रकार हमें उक्त आलोच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)